न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 151/22 (वाद)

GCMS NO. : 2022/383

अनवान

1. श्री महादेव जी स्थान देह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र शंकरलाल पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तहसील घासा।

............वादी

बनाम्

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली हाल घासा।
3. पटवारी, पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.07.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 किता 12 कुल रकबा 0.6963 हेक्टेयर भूमि श्री महादेव जी स्थान देह खातेदार के नाम पर अंकित हैं।
2. यह कि गांव घासा तहसील मावली हाल घासा के बाशिन्दों द्वारा अपनी आस्था एवं श्रद्वा वश आज से करीब 500 साल पूर्व गांव घासा में भगवान श्री महादेव जी की स्थापना की गई थी और इनकी सेवा पूजा का दायित्व मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों को सौंपा गया तब से ही हमारे पूर्वज एवं उनके वारिसान, मैं वादी—प्रतिवादी एवं अन्य सभी पीढी दर पीढी अपने—अपने ओसरे अनुसार भगवान श्री महादेव जी की सेवा पूजा कर अपने दायित्वों का सत्यनिष्ठा से निर्वह्‌न करते आ रहे है तथा श्री महादेव जी की पूजा अर्चना के बदले उनकी खातेदारी की भूमिया जिसमें वाद वर्णित कृषि भूमियां भी सम्मिलित है, को उपयोग उपभोग हेतु हमारे पूर्वजों को सौंपी गई थी जिसका उपयोग उपभोग भी हमारे पूर्वज तथा हमारे पूर्वज के पश्चात् उनके वारिसान पीढी दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested

पीढी विरासत में प्राप्त अनुसार भूमियों पर गत 500 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते आ रहे है और उक्त भूमियों का लगान भी जमा कराते आ रहे है तथा इसी कृषि भूमि में से रास्ते के सटमा स्थित आराजी नम्बर 3139 के कुछ भू भाग पर हमारे पूर्वजो द्वारा अपने व अपने परिजनों के निवास हेतु मकान बनाये और उन मकानों में शांतिपूर्वक निवास कर जीवन निर्वाह करते रहे तथा वर्तमान में आराजी नम्बर 3139 पर निवास के लिये पक्के मकानात बने हुए है और सभी वारिसान द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं।

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित श्री महादेव जी स्थान देह की कृषि भूमियों का प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य वारिसानों को उपयोग उपभोग करने के अलावा अन्य कोई हक व अधिकार नहीं है किन्तु आराजी नम्बर 3139 जो रास्ते एवं आबादी के सटमा होने से प्रतिवादी संख्या 1 बाहुबल के जरिए नाजायज रूप से उक्त जमीन को हडपने की नियत से आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित पुराने मकान को हटवाकर उस स्थान पर पक्की दूकानों का निर्माण करवाने के प्रयास में है तथा इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को ध्वस्त करवाने के लिए मजदूर लगाकर कार्य शुरू करवा दिया है और मौके पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री भी डलवाने पर उतारू हैं। मुझ वादी एवं मेरे परिवार के सदस्यों को इसका ज्ञान होने पर मुझ वादी ने मौके पर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को नाजायज तरीके से उक्त महादेव जी की कृषि भूमि पर निर्मित मकान को ध्वस्त करने एवं नई दूकानों का निर्माण कराने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आग बबूला होकर मेरे व मेरे परिवारजनों के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा किया और ऐलानिया धमकी दी कि मैं काम बन्द नहीं करूगा और कोई भी काम बन्द कराने आयेगा तो उसके हाथ–पैर तुडवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमियों में कोई हक अधिकार नहीं है एवं निवास हेतु एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग करने के अलावा अन्य किसी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का भी अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 श्री महादेव जी की सम्पति को हथियाकर व्यक्तिगत रूप से व्यवसायिक उपयोग उपभोग करने की नियत से उक्त अवैध कृत्य कर रहा हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियां हमारे पूर्वजों को श्री महादेव जी की सेवा पूजा के बदले में दी गई है जो निरन्तर पीढी दर पीढी हमारे पूर्वजों एवं मुझ वादी प्रतिवादी व अन्य परिवारजनों को प्राप्त हुई है जिस पर मुझ वादी सहित अन्य परिवारजन उपयोग उपभोग कर रहे है तथा निवास हेतु बने मकानों में शांतिपूर्वक निवास कर जीवन निर्वाह कर रहे है किन्तु इन कृषि भूमियों के स्वामी श्री महादेव जी है और यह काश्त की आज्ञा जरिये श्री महादेव जी दी गई है तथा श्री महादेव जी की उक्त कृषि भूमियों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तो वह श्री महादेव जी द्वारा काश्त करना माना जावेगा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज तरीके से आम रास्ते के सटमा एवं आबादी के नजदीक की आराजी नम्बर 3139 की कृषि भूमि को हथियाने के लिए इस पर निर्मित मकान को ध्वस्त कर उस कृषि भूमि का मनमाने ढंग से व्यवसायिक उपयोग करने की नियत से दुकानें निर्माण कर कब्जा करना चाह रहा है और इसी नियत से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी नम्बर 3139 पर बने मकान को ध्वस्त करवाने का कार्य शुरू करा दिया और द्रुतगति से व्यवसायिक उपयोग हेतु पक्की दुकाने निर्माण कराने पर उतारू है और मना करने पर लडाई झगडा कर मरने मारने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करे, आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को नहीं गिरावें, दुकानों का निर्माण नहीं करावे, श्री महादेव जी स्थान देह के अधिकारों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहूंचावे, कुलिया कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 06.09.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नम्बर 3139 पर व्यवसायिक दुकाने निर्माण करवाने की नियत से निर्मित मकान को ध्वस्त करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested

का कार्य प्रारम्भ करवा दिया और मुझ वादी व मेरे परिजनों द्वारा इसको ऐसा करने से मना किया लेकिन ये लोग नहीं माने एवं मरने मारने पर उतारू हुआ, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करे, आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को नहीं गिरावें, दुकानों का निर्माण नहीं करावे, श्री महादेव जी स्थान देह के अधिकारों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचावे, कुलिया कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौरान दावा प्रतिवादी संख्या 1 ताकत के बल पर नाजायज रूप से उक्त कृषि भूमि एवं आराजी नम्बर 3139 पर निर्मित मकान को गिरा कर अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग हेतु पक्की दुकानों का कच्चा/पक्का निर्माण करा देवें तो पुनः मौके की वाद संस्थिति की स्थिति रखाई जाकर पुनः कब्जा वादी को सिपुर्द कराया जावे और आराजी नम्बर 3139 पर अवैध रूप से कराये जाने वाले निर्माण को प्रतिवादी संख्या 1 के खर्चे से ध्वस्त करा हटवाया जाने की डिक्री मुझ वादी के पक्ष में जारी फरमाई जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादी स्वयं शंकरलाल पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 780 प्रदर्श 1, मौके के फोटोग्राफ्स प्रदर्श 2 से 3 करवाए गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested

पर पहुंचे है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 किता 12 कुल रकबा 0.6963 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी द्वारा वादमित्र के रूप वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार महादेवजी स्थान देह है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार नही है। वादग्रस्त भूमि श्री महादेवजी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 को पक्का निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा पक्का निर्माण कर दिया जाता है तो इससे खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 किता 12 कुल रकबा 0.6963 हैक्टेयर भूमि में निर्माण कार्य नही करें। वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री महादेव जी स्थान देह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र शंकरलाल पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तहसील घासा।

.....वादी

बनाम्

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली हाल घासा।
3. पटवारी, पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 151/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/383

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 780 पर दर्ज आराजी नम्बर 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142 किता 12 कुल रकबा 0.6963 हैक्टेयर भूमि में निर्माण कार्य नही करें। वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:03 IST
Reason: SelfAttested